

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:—काना राम,आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:—10/2023 विविध (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

आईसीआईसीआई. होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय—
आईसीआईसीआई. बैंक टावर बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, मुम्बई-400051 तथा शाखा
कार्यालय:—प्रथम तल, शॉप नं. 91-92, न्यू क्लोथ मार्केट, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत
अधिकारी श्री नेम सिंह।

—प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. श्री मदन लाल पुत्र श्री महावीर यादव

पता—गांव डुंगरवास, बारानी 6, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज. 335501।

—ऋणी व गारण्टर

2. श्री श्रीमती नारायणी देवी पत्नि श्री मदन लाल

पता— गांव डुंगरवास, बारानी 6, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़, राज. 335501।

—सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।



आदेश

दिनांक:—01.05.2024

प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टॉवर, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, मुम्बई महाराष्ट्र-400051 में स्थित व कार्यरत है एवं जिसका एक कार्यालय प्रथम तल, शॉप नं. 91-92, न्यू क्लोथ मार्केट, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335001 पर स्थित है जरिये प्राधिकृत अधिकारी नैमसिंह की ओर से श्री जयपाल झोरड़ वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को जरिये खाता सं. LHGAN00001372028, LHGAN00001372027, LHGAN00001372026 में ऋण 14,85,262/- रुपये की ऋण सुविधा दिनांक 14.06.2021 को स्वीकृत व वितरित की गई थी। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की ऐवज में अपनी अचल सम्पत्ति:—ग्राम पंचायत न्यांगल के संकल्प संख्या 03 दिनांक 21/05/2018 की अनुपालना में पुस्तक संख्या 206 पट्टा संख्या 032 दिनांक 05/10/2018 को जारी एवं पंजीबद्ध है जो ग्राम/साकिन डुंगरबास तहसील—भादरा जिला हनुमानगढ़, राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढाचां आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल 1800.00 वर्ग फीट अर्थात् कुल तादादी 167.28 वर्ग मीटर है, जो कि श्री मदन लाल पुत्र श्री महावीर यादव के नाम से हैं, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने कम्पनी द्वारा प्रदत्त ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं चुकाने पर उक्त ऋण खाता दिनांक 04.07.2022 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता में बकाया राशि 15,12,336/- रुपये



दिनांक 05.07.2022 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया निकलते हैं और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 08.07.2022 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि जमा करने की मांग की गई। परन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया रकम न तो अदा की और नही नोटिस का कोई जवाब दिया।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी कम्पनी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी कम्पनी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets of Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखी अचल सम्पत्ति—ग्राम पंचायत न्यांगल के संकल्प संख्या 03 दिनांक 21/05/2018 की अनुपालना में पुस्तक संख्या 206 पट्टा संख्या 032 दिनांक 05/10/2018 को जारी एवं पंजीबद्ध है जो ग्राम/साकिन/डुंगरबास तहसील—भादरा जिला हनुमानगढ़, राजस्थान पर स्थित है। (कुल क्षेत्रफल 1800.00 वर्ग फीट अर्थात् कुल तादादी 167.28 वर्ग मीटर है), जो कि श्री मदन लाल पुत्र श्री महावीर यादव के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी कम्पनी को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ़तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़